

:: कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ::

-: आदेश :-

वित्त विभाग के आदेश एफ 10(4) गुप-2/एफडी/76/ दिनांक 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.08 एवं एफ6(6)एफडी /रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के अंतर्गत निम्नलिखित व्याख्यताओं को इनके आवेदन पत्र के आधार पर उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत या अधिकतम रूपये 600/- (अखरे रूपये छः सौ मात्र) जो भी कम हो प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण /पदौन्नति एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बन अवधि का विकलांग भत्ता देय नहीं होगा।

क्र. स.	नाम कार्मिक एवं पद	पदस्थापन स्थान	कब से	कब तक
1.	जय प्रकाश यादव व्याख्याता, इतिहास	राउमावि, छाजा की नांगल, सीकर	13.01.2016	लगातार
2.	अजय व्यास, व्याख्याता, इतिहास	राउमावि, मण्डी जोधपुर	27.12.2016	लगातार
3.	हर्ष सिंह गहलोत, व्याख्याता इतिहास,	राउमावि, सावरदा दूदू, जयपुर	20.12.2012	05.12.2013



(नथमल डिडेल)

आईएस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

कमॉक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इतिहास/ विकलांग भत्ता/07 दिनांक:- 29/5/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर/जोधपुर
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), जयपुर/जोधपुर/सीकर
- 3- संबंधित प्रधानाचार्य।
- 4- संबंधित कार्मिक।
- 5- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

✓ 6- कम्प्यूटर अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड हेतु



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर